फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 134/24**

जीसीएमएस : 2024/502

प्रार्थी :–

1. श्री नीलेश पिता प्रभुलाल डांगी निवासी केसरपुरा, एकलिंगपुरा तह. गिर्वा।

विपक्षी :–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 28.11.2024

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तोवज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के अनुसार मौजा वांगरोदा पटवार हल्का भीमल तह. मावली की आराजी नम्बर 1219/812 रकबा 3.0756 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के तन्हा खातेदारी अधिकार से दर्ज हैं। प्रार्थी उक्त तन्हा खातेदारी भूमि का चारो दिशाओ का सीमांकन करा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं, जिसमें विपक्षी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है, इसलिए प्रार्थी को अपनी भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकार हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वांगरोदा पटवार हल्का भीमल तह. मावली की आराजी नम्बर 1219/812 रकबा 3.0756 हेक्टेयर भूमि की चारो दिशाओं का सीमांकन कर पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार मावली को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान को सूचना पत्र जारी कर यथासम्भव सभी पक्षकारान की उपस्थिति में चारो दिशाओ का सीमाकंन कर पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी मौके पर अदा करे। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:52:31 IST
Reason: SelfAttested

सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
ण्ड अधिकारी
मावली